

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तहसील
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

आपराधिक प्रकरण.क.495 / 2017
संस्थित दिनांक-24 / 10 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. जितेन्द्र उर्फ जीतू पिता नन्दलाल कुर्वेती जाति गोंड
उम्र-35 वर्ष, निवासी वार्ड नं.01 रौंदाटोला,
जेल के सामने बैहर, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0।

2. नन्दलाल पिता कोदू कुर्वेती जाति गोंड उम्र 61 वर्ष
निवासी रौंदाटोला वार्ड नं.01 बैहर, थाना-बैहर
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

--: निर्णय ::--

--:दिनांक-22/03/2018 को घोषित:-

1- अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-21.09.2017 को 11:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत देवेन्द्र पटेल के घर के सामने, नरसिंहटोला मेन रोड बैहर में लोकमार्ग पर वाहन ऑटो क्रमांक-एम.पी.-50/आर-0578 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर ऑटो को पलटाकर आहत रविकुमार यादव के दाहिने हाथ की उंगली एवं बायें कंधे में चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित कर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया था एवं अभियुक्त नन्दलाल पर मोटर व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ऑटो क्रमांक-एम.पी.-50/आर-0578 को बिना बीमा कराए चलवाया था।

2- प्रकरण में अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 राजीनामा योग्य नहीं होने से अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पर उक्त धाराओं का एवं

अभियुक्त नन्दलाल पर मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 के आरोप में प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रविकुमार ने थाना बैहर में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह दिनांक-21/09/2017 को करीब 11:00 बजे उसके घर से बस स्टेण्ड मजदूरी करने आ रहा था। रास्ते में उसे ऑटो चालक अभियुक्त जीतू कुर्वेती मिला था उसने फरियादी से कहा था कि चलो बस स्टेण्ड तक ऑटो से छोड़ देता हूँ। तब फरियादी अभियुक्त के ऑटो में बंजर कालोनी बैहर से बैठा था। अभियुक्त उसकी ऑटो को बहुत तेज लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया था एवं देवेन्द्र पटेल के घर के सामने मेन रोड़ पर ऑटो को पलटा दिया था। ऑटो पलटने से फरियादी के दाहिने हाथ के चिनी उंगली के बाजू वाली उंगली में चोट लगकर खून निकलने लगा था एवं बायें कंधे पर मुंदी चोट आई थी। उसके बाद फरियादी बेहोश हो गया था। जमना सहिस ने फरियादी को बस स्टेण्ड बैहर लाकर छोड़ा था। घटना को जमना सहिस, देवेन्द्र पटेल एवं अन्य लोगों ने देखी थी। अभियुक्त ने ऑटो को बिना बीमा के चलाया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैहर ने अपराध क्रमांक-148/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टिया एवं अभियुक्त नन्दलाल को मो.व्ही.एक्ट की धारा-146/196 के अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू ने घटना दिनांक-21.09.2017 को 11:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत देवेन्द्र पटेल के घर के सामने, नरसिंहटोला मेन रोड़ बैहर में लोकमार्ग पर वाहन ऑटो क्रमांक-एम.पी.

3 आपराधिक प्रकरण.क्र.495 / 2017

—50/आर—0578 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया था ?

3. क्या अभियुक्त नन्दलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाहन ऑटो क्रमांक—एम.पी. —50/आर—0578 को बिना बीमा कराए चलवाया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निराकरण:-

7— रविकुमार अ.सा.01 का कथन है कि उसे घटना की दिनांक पता नहीं है। बंजर कालोनी पर अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र उसके ऑटो को लेकर मिला था। वह बस स्टेण्ड पर छोड़ने के लिए बोला था। तब साक्षी ऑटो में बैठ गया था। ऑटो से उतरने के लिए जल्दबाजी में लापरवाही के कारण साक्षी सड़क पर गिर गया था। साक्षी को ऑटो का नम्बर पता नहीं है। साक्षी ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध करायी थी एवं पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

8— शिवलाल परते सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.02 का कहना है कि दिनांक 21.09.2017 को फरियादी रविकुमार की सूचना पर से अभियुक्त जीतू कुर्वेती के विरुद्ध अपराध क्रमांक—148/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी। साक्षी ने फरियादी की निशांदाही पर घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.02 बनाया था। साक्षी ने फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप साक्ष्य दी है।

9— रविकुमार अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। प्रकरण में फरियादी द्वारा राजीनामा करने के कारण फरियादी ने उसकी साक्ष्य में इस विचारणीय प्रश्न की घटना का

समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी है। अभियोजन पक्ष प्रकरण के फरियादी/आहत की साक्ष्य से अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ऑटो क्रमांक-एम.पी.-50/आर.-0578 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 एवं 3 का निराकरण:-

10- शिवलाल परते सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में बताया है कि उन्होंने अभियुक्त जीतू से गवाह नंदलाल एवं दिवांसु के समक्ष आटो क्रमांक-एम.पी.-50/आर.-0578, आर.सी.बुक, फिटनेस सार्टिफिकेट, चालक का ड्रायविंग लाईसेंस प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था एवं साक्षी ने वाहन मालिक/अभियुक्त को प्र.पी.05 का नोटिस दिया था जिसमें उसने अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र के द्वारा वाहन चलाया जाना बताया था। इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू ने घटना दिनांक को प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना बीमा के चलाया था। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्त नंदलाल ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना बीमा कराए अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू से चलवाया था। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना बीमा के चलाया था एवं अभियुक्त नंदलाल ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना बीमा के चलवाया था।

11- प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध मोटर व्ही.एक्ट की धारा-146/196 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को मोटर व्ही.एक्ट की धारा-146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12- प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा-428 दं.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

5 आपराधिक प्रकरण.क.495 / 2017

13— अभियुक्तगण के जमानत, मुचलके भारमुक्त किए जावें।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ऑटो आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग के लिए)